न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Settlement Cancillation confermation (RMP) वाद सं0–04 / 2012–13

115

सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़

बनाम

मानिक रविदास वगैरह

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	आदेश यह वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–550 / डी0वी0, दिनांक–22.12.2012 के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उनके न्यायालय का राजस्व विविध वाद सं0–32 / 2012–13 में दिनांक–18.12.2012 को पारित आदेश के आलोक में प्रारम्भ किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं विपक्षी मानिक रविदास, रतन रविदास एवं रेन्टू रविदास, सभी का सा0–भवानीपुर, थाना–पाकुड़ (मु0) जिला–पाकुड़ के विज्ञ अधिवक्ता के कथन से मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल के मौजा भवानीपुर नं0–170 के जमाबंदी सं0–309 के दाग सं0–525 अन्तर्गत विपक्षीगण के पक्ष में की गई बंदोवस्ती को रद्द करने हेतु मौजा भवानीपुर के ग्रामीणों द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष आवेदन दिया गया। दाखिल आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, पाकुड़ से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। तत्कालीन उपायुक्त, पाकुड़ के आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा मानिक रविदास एवं रतन रविदास के साथ दाग सं0–525 में बंदोवस्ती वाद सं0–80 / 1986–87 में पारित आदेश द्वारा 02–02 बीघा भूमि की बंदोवस्ती एवं रेन्टु रविदास तथा मिनोती रविदासीन के साथ बंदोवस्ती वाद सं0–129 / 1988–89 में पारित आदेश द्वारा 01–01 एकड़ अर्थात 06–01–00 धुर कुल 10–01–00 धुर भूमि की बंदोवस्ती को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेख राजस्व विविध वाद सं0–03 / 2012–13 विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को भेजा गया। उक्त प्रस्ताव अभिलेख के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा राजस्व विविध वाद सं0–32 / 2012–13 संस्थित किया गया एवं दिनांक–18.12.2012 को पारित आदेश द्वारा बंदोवस्ती वाद सं0–80 / 86–87 एवं 129 / 88–89 में पारित आदेश द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में की गई बंदोवस्ती को रद्द करने की अनुशंसा करते हुए मूल अभिलेख इस न्यायालय को भेजा गया। निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर इस न्यायालय में यह वाद संस्थित किया गया एवं विपक्षी मानिक रविदास, रतन रविदास एवं रेन्टु रविदास को नोटिस	

... है एवं भारतीय होने पर गर्व है तो मतदाता बनने के लिए निबंधन कराएं।"

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

निर्गत किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा गया।

विपक्षी का कहना है कि पाकुड़ अंचल के मौजा–मलानीपुर सं0–170 के जमाबंदी सं0–309 के दाग सं0–626 अन्तर्गत कुल रकवा 18–06–13 धुर भूमि विगत सर्वे खतियान में पुरातन पतित कहकर अनावादी खाता में दर्ज है। विपक्षीगण गरीब एवं भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के बंदोबस्ती वाद सं0–80/1986–87 में दिनांक–31.03.1987 को पारित आदेश द्वारा उक्त दाग सं0–626 में मानिक रविदास, पिता–स्व0 मनोहर रविदास को 02–00–00 धुर एवं रतन रविदास, पिता– स्व0 मनोहर रविदास को 02–00–00 धुर भूमि बंदोबस्त किया गया। इसी प्रकार बंदोबस्ती वाद सं0–129/1988–89 में दिनांक–20.03.1992 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत दाग सं0–626 में रेन्दू रविदास, पिता–रतन रविदास को 1 (एक) एकड़ (लगभग 03–00–10 धुर) तथा मिनोती रविदास, पति–मानिक रविदास को 1 (एक) एकड़ (03–00–10धुर) भूमि बंदोबस्त किया गया है। बंदोबस्ती के बाद से ही प्रश्नगत भूमि पर बंदोबस्तधारकों का दखल–कब्जा है। बंदोबस्ती आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि उक्त बंदोबस्त भूमि पानी में डूबा रहता है। उक्त भूमि पर विपक्षियों द्वारा परिश्रम कर तालाब बनाया गया है तथा बाढ़ का पानी उतरने पर पोखर से मछली पकड़कर जीविकोपार्जन करता है तथा शेष दलदली जमीन पर खेती करता है। गाँव के ही कुछ दबंग लोग इस बंदोबस्ती को रद्द कराना चाहते है। पूर्व में भी कुछ ग्रामीणों द्वारा इस भूमि को रद्द करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में वाद चलाया था, जो राजस्व विविध वाद सं0–71/2001–02 के रूप में चला था। उक्त वाद में दिनांक–20.05.2002 को पारित आदेश द्वारा ग्रामीणों के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील किया गया। इस न्यायालय के आर0एम0ए0 वाद सं0–26/2002 में दिनांक–02.08.2006 को पारित आदेश द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध कभी कोई अपील/रिविजन नहीं किया गया। प्रश्नगत बंदोवस्त रकवा 10–01–00 धुर जमीन का लगान निर्धारण भी किया गया है एवं पंजी–II में विपक्षी का नाम भी दर्ज है। विपक्षी सरकार को लगान का भुगतान भी करते है। उक्त लगान निर्धारण वाद सं0–01/2013–14 में अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा बंदोवस्त भूमि पर विपक्षीगण का दखल–कब्जा प्रतिवेदित किया गया है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–311/रा0, दिनांक–31.03.2012 में यह स्पष्ट –

(16

की कम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	प्रतिवेदित किया गया है कि बंदोवस्त भूमि में ही मानिक रविदास ने विधालय भवन निर्माण हेतु रकवा 00–05–00 धुर भूमि महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड को दान किया गया है, तत्पश्चात उक्त विद्यालय भवन का निर्माण हुआ है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त दाग में तीन आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन (बाल श्रमिक विधालय भवन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, मस्जिद एवं उत्क्रमित विद्यालय भवन बना हुआ है तथा 12 फीट का रास्ता भी है। परन्तु यह प्रतिवेदित नहीं किया गया है कि उक्त भवन बंदोबस्त भूमि पर है या दाग सं0–525 के अवशेष रकवा पर है। यदि भूमि पर विपक्षी का दखल–भोग नहीं रहता तो विद्यालय भवन हेतु जमीन दान किस आधार पर दिया जा सकता था। साथ ही यदि प्रश्नगत बंदोबस्त भूमि पर उक्त भवन निर्मित किया गया है तो पहले बंदोवस्ती रद्द करना चाहिए था। उक्त भवन प्रश्नगत भूमि पर नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। SPT Act 1949 की धारा 32 के तहत बंदोवस्ती के बाद दखल–कब्जा के एक वर्ष के भीतर आपत्ति दाखिल किया जाना है। प्रश्नगत मामले में पूर्व में ही धारा 33 के तहत कार्रवाई का आवेदन इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है। उनके द्वारा बंदोबस्ती रद्द करने संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के प्रस्ताव को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया। सम्पूर्ण अभिलेख, बंदोवस्ती वाद सं0–80 / 1986–87, 129 / 1988–89, राजस्व विविध वाद सं0–71 / 2001–02, जॉच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अन्य कागजातों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। यह स्पष्ट है कि दाग सं0–525 अन्तर्गत कुल रकवा 18–06–13 धुर पुरातन पतित कहकर विगत सर्वे खतियान में अनावादी खाता में दर्ज है। उक्त दाग में से बंदोवस्ती वाद सं0–80 / 86–87 द्वारा मानिक रविदास तथा रतन रविदास को दो बीधा करके कुल चार बीधा जमीन की बंदोवस्ती की गई है। साथ ही बंदोवस्ती वाद सं0–129 / 88–89 द्वारा रेन्टू रविदास एवं मिनोती रविदास को 03–00–10 धुर करके कुल 06–01–00 धुर जमीन की बंदोवस्ती की गई है। राजस्व विविध वाद सं0–71 / 2001–02 में पारित आदेश का अवलोकन किया गया। साथ ही इस न्यायालय के आर0एम0ए0 वाद सं0–26 / 2002 में दिनांक–02.08.2006 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश से यह ज्ञात होता है कि बंदोवस्ती वाद सं0–80 / 1986–87 के आवेदक मानिक रविदास एवं रतन रविदास के	

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0–2642/2000 द्वारा बंदोबस्त भूमि 4 बीघा जमीन का विक्रय किया गया था, जिसे अमान्य किया गया तथा आदेश दिया गया कि " उत्तरार्थीगण एक शपथ पत्र दें जिसमें यह स्पष्ट हो कि भविष्य में वे बन्दोबस्त जमीन का उपयोग सिर्फ अपने लिए करेंगे। अगर ऐसा शपथ पत्र नहीं दिया जाता है तो एक माह के अन्दर अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा भूमि को सरकारी घोषित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इस हेतु उत्तरार्थीगण को एक माह का समय दिया जाता है।"

उत्तरार्थीगण द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तथा शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया।

उक्त परिपेक्ष्य में विपक्षगण के दावे को स्वीकार नहीं किया जाता सकता है। अतः बन्दोबस्ती वाद सं0–80/1986–87 के द्वारा श्री मानिक रविदास एवं श्री रतन रविदास के साथ दाग सं0–525 अन्तर्गत रकवा 04–00–00 धूर भूमि की बन्दोबस्ती तथा बन्दोबस्ती वाद सं0– 129/1988–89 के द्वारा रेन्दु रविदास एवं मिनोती रविदास के साथ रकवा 06–01–00 धूर भूमि की बन्दोबस्ती को रद्द किया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रश्नगत भूमि को सरकारी कब्जा में ले लिया जाय। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28-03-24

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

28.03.24

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.31 21:17:22 +05:30
Location: 192.168.59.62

Scanned with OKEN Scanner